संख्या 369 / आठ–4–07–603एम / 2007

प्रेषक,

बी.बी. सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2. **उपाध्यक्ष,**
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 13 मार्च, 2007

विषय : आवेदन पत्र निरस्त होने पर नजूल फ्री होल्ड जमा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि वापस किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या : 1677 / 9–आ–4–2001–603एन, दिनांक 11 जून, 2001 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा आवेदन पत्र निरस्त होने पर नजूल फ्री होल्ड जमा स्वमूल्यांकन की 25 प्रतिशत धनराशि वापस किये जाने की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रारूप–।। पर सूचना भेजे जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु यह देखने में आ रहा है कि उक्त प्रारूप पर प्रश्नगत सूचना शासन को नहीं भेजी जा रही है।

2– अतः अनुरोध है कि स्वमूल्यांकन की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्धारित प्रारूप–।। पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि विषयगत धनराशि की वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत पत्र के साथ संलग्न प्रारूप–1 के साथ प्रेषित किया जाय। इस सीमा तक पूर्व निर्गत प्रारूप–। को संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

बी.बी. सिंह,
सचिव

प्रारूप – 1

नजूल भूमि फ्री होल्ड से संबंधित निरस्त किये गये प्रार्थना पत्रों के सापेक्ष वापस की जाने वाली धनराशि का विवरण–पत्र

क्र.सं.	आवेदक का नाम / पता	फ्री होल्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तथा भूमि संख्या व क्षेत्रफल	आवेदन पत्र के साथ 25 प्रतिशत जमा की गयी धनराशि का विवरण / ट्रेजरी चालान संख्या व दिनांक	यदि डिमाण्ड नोट निर्गत किया गया है और उसके सापेक्ष यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उसका विवरण	फ्री होल्ड हेतु आवेदन किस रूप में प्रस्तुत किया गया यथा पट्टेदार / नामित व्यक्ति / अवैध कब्जेदार आदि	आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का आधार तथा दिनांक	वापस की जाने वाली धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाण–पत्र – यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अंकित धनराशि की वापसी का प्रस्ताव शासन को पहली बार प्रेषित किया जा रहा है। इसके पूर्व उक्त धनराशि वापस नहीं की गयी है।

हस्ताक्षर ....
अपर जिलाधिकारी
वित्त / राजस्व